



उत्तराखण्ड शासन

## PROVISIONAL CERTIFICATE FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

Provisional Reg. No.: DRA/CEA/GOV/258/JUL/2023

Date of issue 25/7/2023

Valid up to - 09-07-2023 TO 08-07-2024

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 1 - Name of the C.E.         | - | District Hospital Coronation Dehradun                    |
| 2 - Address of the C.E.      | - | Curzon Road Dehradun                                     |
| 3 - Owner of the C.E.        | - | Medical Health & Family Welfare<br>Department Uttrakhand |
| 4 - Name of person in-Charge | - | Dr. Shikha Jangpangi                                     |
| 5 - System of Medicine       | - | Allopathic   |
| 6 - Type of Establishment    | - | Hospital (300 Bed)                                       |

Is hereby provisionally registered under the provisions of Clinical Establishments (Registration & Regulations) Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the condition as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration & Regulations) Act 2010 and the Rules made under.

  
Chief Medical Officer  
District Registration Authority  
Dehradun

Place: DEHRADUN  
District Registration Authority  
CMO Dehradun, 105 Chandar Nagar Dehradun.  
Ph. 0135-2724506



प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेषित,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
देहरादून।

13/07/22

पत्रांक:-19प/8/176/2022/

17/24

देहरादून :दिनांक जून, 2022

विषय:-श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून को सत्र 2022-23 हेतु बी0एस0सी0 (नर्सिंग) के नवीन पाठ्यक्रम हेतु जिला चिकित्सालय, (कोरोनेशन) देहरादून में 130 शैय्यायें, उपजिला चिकित्सालय विकासनगर में 30 शैय्यायें एवं उपजिला चिकित्सालय, प्रेमनगर में 20 शैय्याओं के आबद्धीकरण/सम्बद्धीकरण की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, प्रमुख निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार के पत्र दिनांक 07 जून, 2022 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य के निजी संस्थान श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून को सत्र 2022-23 हेतु बी0एस0सी0 (नर्सिंग) के पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त 180 शैय्याओं की आवश्यकता के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन), देहरादून, उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर एवं उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर से शैय्याओं की सम्बद्धता की अपेक्षा करते हुए, सम्बन्धित संस्थान की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराते हुए आबद्धीकरण/सम्बद्धीकरण की अनुमति चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा निजी संस्थान श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून की उपलब्ध करायी गयी स्थलीय निरीक्षण आख्या जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून की 130 शैय्यायें उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर की 30 शैय्यायें एवं उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर की 20 शैय्यायें सहित कुल-180 शैय्याओं के आबद्धीकरण/सम्बद्धीकरण की संस्तुति करते हुए, आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अवगत कराना है कि नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ निजी प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को राजकीय चिकित्सालयों की शैय्याओं में अभ्यासिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु शासनोदश संख्या-541 दिनांकित 11 अगस्त, 2021 के द्वारा राजकीय चिकित्सालयों की शैय्याओं में निजी प्रशिक्षण संस्थान के छात्र-छात्राओं को अभ्यासिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति के आधार पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग को निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।



अतः शासनादेश संख्या-541/XXVIII-2-2021-98/2010टी0सी0 दिनांकित 11 अगस्त, 2021 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एवं आपके द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून की 130 शैय्यायें उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर की 30 शैय्यायें एवं उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर की 20 शैय्यायें सहित कुल-180 शैय्याओं को बी0एस0सी0 नर्सिंग, नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 (एक वर्ष की अवधि) के लिये श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, देहरादून के संचालन हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आबद्ध/सम्बद्ध किया जाता है:-

1. प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय की शैय्याओं की सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि उस क्षेत्र में राजकीय संस्थाओं की स्थापना होने अथवा प्रश्नगत चिकित्सालयों में शैय्याओं की आवश्यकता होने पर शैय्याओं की सम्बद्धता 03 माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त कर दी जायेगी।
2. संबंधित चिकित्सालयों में संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु प्रतिप्रशिक्षणार्थी रू0 3,000/- प्रतिमाह शुल्क संस्थान द्वारा दिया जाना होगा, जिसे वार्षिक व्यय के रूप में संबंधित चिकित्सालयों के प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष/अधीक्षक के नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व जमा कराना होगा। शैय्या सम्बद्धीकरण हेतु संस्थान को चिकित्सालयों से संबंधित पाठ्यक्रम की अवधि के लिए एम0ओ0यू0 करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्ति के समय यदि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या राजकीय चिकित्सालय की चल-अचल सम्पत्ति की क्षति की जाती है, तो इसका हर्जाना संस्था द्वारा भरा जायेगा एवं स्थिति विवादित होने पर प्रशिक्षण समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में चिकित्सालय की प्रबन्धन समिति द्वारा जांच आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
4. प्रयोगात्मक/अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु एक चिकित्सालय में केवल एक ही प्रशिक्षण संस्थान को ही सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, परन्तु उक्त चिकित्सालय में शैय्याओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान को भी पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षणार्थी एवं शैय्या का अनुपात 1:3 के अनुसार शैय्याओं का सम्बद्धीकरण प्रदान किया जायेगा। यदि चिकित्सालय द्वारा किसी अन्य संस्थान से पूर्व में शैय्याओं को सम्बद्धीकरण किया गया है, तो नवीन प्रशिक्षण संस्थान से शैय्याओं का सम्बद्धीकरण करते समय पूर्व में सम्बद्ध की गयी शैय्याओं का संस्थानवार विवरण MoU में उल्लिखित किया जायेगा।
5. चिकित्सालय के सम्बद्धीकरण तथा अन्य पहलुओं के संबंध में भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत नवीनतम मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



6. निजी संस्थानों द्वारा सम्बद्धता हेतु प्रतिवर्ष उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिए एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाना होगा, जिसे विभाग द्वारा 03 माह का पूर्व नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

7. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को शैय्याओं की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के 02 वर्ष के भीतर अपना स्वयं का चिकित्सालय स्थापित किया जाना होगा।

इस सम्बन्ध में आप अवगत ही हैं कि इस महानिदेशालय की पत्र संख्या-19प/8/186/2018/12824 दिनांक 03.06.2022 द्वारा जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून की 130 शैय्यायें, उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर की 30 शैय्यायें एवं उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर की 20 शैय्यायें सहित कुल-180 शैय्याओं की अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्धता ग्राफिक ऐरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून को प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार उक्त निजी संस्था को इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाय कि एक सीमित रोटेशन यथा 03 माह/06 माह के अंतराल पर दोनों संस्थानों के छात्र/छात्राओं को उक्त चिकित्सालयों में अभ्यासिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि चिकित्सालय में अभ्यासिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी रहे तथा चिकित्सालय में प्रशिक्षुओं का दबाव (Overcrowd) भी न हो। उक्त प्रकरणों को भविष्य में दृष्टान्त/नजीर न समझा जाय।

अतः तदनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, देहरादून संस्थान से एम0ओ0यू0 निष्पादित करते हुये प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:-यह अनुमति मात्र एक वर्ष सत्र 2022-23 हेतु स्वीकार्य होगी तथा इस अनुमति को अगले वर्ष निजी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पुनः आवेदन करना होगा।

भवदीया,

o/c (शैलजा भट्ट)  
महानिदेशक

पृष्ठांकन संख्या:-19प/8/176/2022/

17/25

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन), देहरादून।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर, देहरादून।
4. श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, देहरादून।
5. कार्यालय आदेश पंजिका।

o/c (शैलजा भट्ट)  
महानिदेशक